

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax: 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:----- नि/रो०/ऋण/3-56/19

पटना, दिनांक: -----

स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्पौषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2018-2019 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-07.09.2018 से 09.09.2018 को चयनित लधु ऋण के आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा सुपौल जिला के वुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निस्पादित करणकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 02 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

क्र. सं.	चयन सूची क्रमिक	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge+ Embossing Charge	Net Payable Amount
1.	61/104	MAHFUJ ALAM, S/o- KIFAYAT ALI, Vill.-ITAHARI, PO-KATIYA, Block+PS+ Distt.-SUPAUL-852123 MOB-9572997207	A/c No.:- 3709914996, CBIN0280062	KIRANA DUKAN	100000	500+ 2030 =2530	97470
2.	58/174	MD SAMIM AHMAD, S/o- LATE NAIMUDDIN, Vill.-NEMUA WARD NO-01, PO-NEMUA, Block+PS+ Distt.-SUPAUL-852130, MOB-7485053504	A/c No.:- 46550100006763, BARB0SUPAUL	GENERAL STORE	200000	1000+ 2030 =3030	196970
TOTAL					300000	5560	294440

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों को भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा व्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ज्ञापक: 1571

प्रतिलिपि:- सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक: 24-9-2020

प्रबंध निदेशक